

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95] नई दि No. 95] NEW DELHI

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 9, 2017/माघ 20, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 9, 2017/MAGHA 20, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2017

सा.का.िन. 118(अ).—केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें इस वापसी से पहले किया गया है अथवा किए जाने का लोप किया गया है, एतद्द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 13 (अ), तारीख 07 जनवरी, 2016 को वापस लेती है।

[फा. सं. 27/01/2011-ए.डब्ल्यू.डी.]

रवि शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2017

G.S.R. 118(E).—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), except as respects things done or omitted to be done before such withdrawal, the Central Government, hereby withdraws the notification number G.S.R. 13(E), dated the 07th January, 2016 of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

[F. No. 27/01/2011-AWD]

RAVI S. PRASAD, Jt. Secy.

716 GI/2017